

क्रमांक: एफ2(7138)/डीओआईटी/संस्था/16-PART-II/03049/2022 जयपुर, दिनांक: 24-08-2021

कार्यालय आदेश

इस विभाग के द्वारा वर्ष 2018 बैच के सभी सूचना सहायकों को एवं उनके पदस्थापन कार्यालयों/विभागों को सूचित किया जाता है कि इन सूचना सहायकों के 2 वर्ष का परिवीक्षा काल सफलता पूर्वक एवं संतोषप्रद पूर्ण करने के पश्चात् संलग्न प्रारूप (परिशिष्ट-1) में सूचना प्रेषित करें, जिससे उनके स्थायीकरण एवं वेतन नियमितिकरण के प्रकरण पर विचार किया जा सकें।

संबंधित कार्यालय/विभाग निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रति परिशिष्ट-1 के साथ संलग्न कर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें:-

1. प्रथम कार्यग्रहण रिपोर्ट की प्रति।
2. असाधारण (अवैतनिक) अवकाश/Dies Non (अकार्य दिवस) के संबंध में इस विभाग के स्तर से जारी आदेश की प्रति।



(सुनील छाबड़ा)

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. भवन, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

(परिशिष्ट-1)

राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के अन्तर्गत सूचना सहायक के पद पर दो वर्ष का परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि पूर्ण करने पर स्थाईकरण एवं नियमित वेतनमान स्वीकृति बाबत वांछित सूचना प्रपत्र:-

1.	नाम कार्मिक / कार्मिका	
2.	मेरिट नम्बर / रोल नं.	
3.	जन्म तिथि	
4.	पिता का नाम	
5.	सूचना सहायक के पद पर नियुक्ति आदेश क्रमांक एवं दिनांक	
6.	सूचना सहायक के पद पर पदस्थापन आदेश क्रमांक एवं दिनांक	
7.	सूचना सहायक के पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	दिनांक:- (मध्याह्न पूर्व / पश्चात्)
8.	प्रथम नियुक्ति पदस्थापित कार्यालय	
9.	वर्तमान पदस्थापित कार्यालय	
10.	दो वर्ष का परिवीक्षाकाल पूर्ण करने की तिथि	
11.	परिवीक्षाकाल में अभिवृद्धि की गई है	हां / नहीं

12. ऐसे सूचना सहायक जो पूर्व से राज्य सेवा में कार्यरत रहे हैं, एवं परिवीक्षा प्रशिक्षण काल में पूर्व पद का वेतन प्राप्त करने का विकल्प दिया है, का परिवीक्षा प्रशिक्षण काल पूर्ण करने का तिथि को मूल वेतन (ग्रेड वेतन.....) एवं ग्रेड पे..... (संबंधित दस्तावेज भी संलग्न प्रस्तुत करें।)

13. परिवीक्षाकाल में लिये गये असाधारण अवकाश का विवरण:-

क्र. सं.	असाधारण अवकाश का विवरण		कुल दिवस	अवकाश स्वीकृतिकर्ता अधिकारी	अवकाश स्वीकृति आदेश क्रमांक / दिनांक
	कब से	कब तक			
	कुल योग				

14. परिवीक्षाकाल में उपभोग किये गये ऐसे अवकाश का विवरण जिसमें वित्त विभाग के मेमोरेण्डम् F.1(2)FD (Rules)/06-1 दिनांक 08.08.2019, दिनांक 25.10.2019, दिनांक 06.01.2020 एवं दिनांक 22.02.2021 के अनुसरण में Dies Non (अकार्य दिवस) घोषित किया गया है, का विवरण:-

क्र. सं.	Dies Non (अकार्य दिवस) का विवरण		कुल दिवस	Dies Non (अकार्य दिवस) स्वीकृतिकर्ता अधिकारी	Dies Non (अकार्य दिवस) आदेश क्रमांक / दिनांक
	कब से	कब तक			
	कुल योग				

(.....)
सूचना सहायक

राजस्थान सरकार

कार्यालय का नाम.....

क्रमांक:

जयपुर, दिनांक:

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/श्रीमती, सूचना सहायक के पद पर दिनांक (प्रथम कार्यग्रहण तिथि) (मध्याह्न पूर्व / पश्चात्) से कार्यरत हैं। उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 14 तक के विवरण का सत्यापन कार्मिक / कार्मिका के सेवा रिकार्ड से कर लिया गया है, जिसके अनुसार उक्त विवरण पूर्णतया सही है। श्री/सुश्री/श्रीमती द्वारा परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में कुल दिवस का असाधारण अवकाश का उपभोग किया है एवं कुल दिवस का अवकाश Dies Non (अकार्य दिवस) घोषित किया गया है।

श्री/सुश्री/श्रीमती, सूचना सहायक द्वारा परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में की गई सेवायें एवं कार्य व्यवहार संतोषप्रद हैं एवं इनके विरुद्ध कोई जांच/मुकदमा/आपराधिक प्रकरण लम्बित एवं प्रस्तावित नहीं है। अतः परिवीक्षा प्रशिक्षण काल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर नियमित वेतनमान स्वीकृत किये जाने की अभिशप्ता की जाती है।

दिनांक:-

(.....)

हस्ताक्षर

संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी

मय सील